"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 जून 2014 — जयेष्ठ 21, शक 1936

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-223/दो-गृह/न्या/2012. — छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में एसिड के विक्रय, आपूर्ति एवं वितरण तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग नियम, 2014 कहलाएंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग अधिनियम, 2013 ;

   (ख) **"एसिड"** से अभिप्रेत है इन नियमों की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट एसिड ;

   (ग) **"अनुज्ञप्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ;

   (घ) **"अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति का धारक ;

   (ङ) **"अधिसूचना"** से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना ;

   (च) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

   (छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

   (ज) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

   (2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में परिभाषित है।

3. अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट एसिड, इन नियमों के प्रयोजन के लिए एसिड माना जायेगा।

4. **बिना अनुज्ञप्ति एसिड का विक्रय अथवा उसको कब्जे में रखने का प्रतिषेध.**—किसी व्यक्ति को जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं हो, तब तक अनुसूची में विनिदिष्ट किसी एसिड का विक्रय नहीं करेगा अथवा विक्रय के लिए कब्जे में नही रखेगा सिवाय इसके कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्ररुप क में अनुज्ञप्ति प्रदाय किया गया हो अथवा प्ररुप ख में अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया हो।

5. **परिसरों में नियमों का प्रदर्शन.**— इन नियमों की एक प्रति, नियम 4 के अंतर्गत प्रदाय की गई अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट व्यवसाय के स्थल में, सदैव प्रमुख स्थान पर, प्रदर्शित करेगा ।

6. **अनुज्ञप्ति किसे प्रदान किया जाये.**— (1) अनुज्ञप्ति केवल उस व्यक्ति को प्रदान किया जायेगा जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की राय में, एसिड के व्यवसाय का संचालन करने में सक्षम है ।

(2) फर्म या कंपनी को जारी अनुज्ञप्ति, सदैव कंपनी के स्वामी या स्वामियों अथवा इस प्रयोजन के लिए ऐसे स्वामी या स्वामियों द्वारा नामांकित उत्तरदायी व्यक्ति के नाम से अथवा सार्वजनिक कंपनी की दशा में उसके प्रबंधक के नाम से होगा ।

(3) इस प्रकार दिये गये नाम या नामों में, फर्म या कंपनी से लिखित आवेदन पर, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन या संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे आवेदन के साथ सौ रुपये का न्यायालयीन शुल्क स्टाम्प संलग्न होगा ।

7. **अनुज्ञप्ति किसके द्वारा प्रदान किया जाये.**— किसी भी आवेदक को अनुज्ञप्ति का प्रदाय एवं अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के विवेक पर किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

8. **अनुज्ञप्ति के प्रदाय या नवीनीकरण हेतु आवेदन.** — (1) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या नवीनीकरण हेतु इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, प्ररुप ख में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे आवेदन में दस रुपये का न्यायालयीन शुल्क स्टाम्प संलग्न होगा:

परन्तु अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से न्यूनतम तीन माह पूर्व अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए किया गया कोई आवेदन, पांच सौ रुपये के न्यायालयीन शुल्क स्टाम्प के साथ प्रस्तुत होगा।

(2) यदि अनुज्ञप्ति की मूल प्रति, खो गई हो या नष्ट हो गई हो, तो डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति के लिये लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसके साथ पांच सौ रूपये का न्यायालयीन शुल्क स्टाम्प संलग्न होगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी के व्यवसाय के स्थल में किसी परिवर्तन की दशा में, अनुज्ञप्ति के लिए एक नवीन आवेदन, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा ऐसे आवेदन में पांच सौ रूपये का न्यायालयीन शुल्क स्टाम्प संलग्न होगा।

(4) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, व्यवसाय स्थल में अनुज्ञप्ति को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

9. **अनुज्ञप्ति की अवधि.**– नियम 10 एवं 11 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, इन नियमों के अंतर्गत प्रदाय की गई अथवा नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति, इसके जारी किये जाने की तारीख से पांच वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

10. **अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का विवेकाधिकार.**– अनुज्ञप्ति, किसी भी समय निरस्त या प्रतिसंहरित किया जा सकेगा तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के विवेक पर अनुज्ञप्ति का प्रदाय/ नवीकरण/ निरस्तीकरण/प्रतिसंहरण किया जायेगा :

परन्तु अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान से इंकार किया गया है अथवा अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इंकार किया गया है या आवेदन को निरस्त या रद्द किया गया है तथा जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है के द्वारा, अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किया जा सकता है ।

11. **अनुज्ञप्ति समाप्त करना.**– अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु होने पर या उसके व्यवसाय के स्थानांतरण होने पर या यदि फर्म या कंपनी को प्रदाय किया जाता है तो ऐसे फर्म या कंपनी के व्यवसाय के परिसमापन या स्थानांतरण हो जाने पर, अनुज्ञप्ति समाप्त हो जायेगा :

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित व्यवसाय, फर्म या कंपनी को संचालित स्थिति में अंतरित हो गया हो तथा अंतरिती, अंतरण की तिथि से चौदह दिनों के भीतर सौ रुपये के न्यायालयीन शुल्क स्टाम्प के साथ, नवीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है तो विद्यमान अनुज्ञप्ति तब तक प्रवृत्त माना जायेगा, जब तक कि नवीन अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदाय नही की जाती अथवा नवीन अनुज्ञप्ति के आवेदन का निरस्त नही की जाती ।

12. **अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या निरस्तीकरण.** –नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, कोई भी पर्याप्त कारण होने पर, नियम 4 के अंतर्गत प्रदाय की गई किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरित या निरस्त कर सकेगा ।

13. **अनुज्ञप्ति के समाप्तीकरण, प्रतिसंहरण या निरस्तीकरण पर स्टॉक का निपटारा.–** नियम 12 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण या निरस्तीकरण की दशा में अथवा नियम 11 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के समाप्तिकरण की दशा में, एसिड का स्टॉक, अनुज्ञप्ति के इस प्रकार समाप्तिकरण, प्रतिसंहरण या निरस्तीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, किसी अन्य अनुज्ञप्ति धारक को बेच सकेगा, उसके पश्चात् बचे हुए एसिड को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश के अधीन नष्ट कर सकेगा । नियम 11 में निर्दिष्ट मामले में, विक्रय की कार्यवाही, यदि कोई हो, यथास्थिति, मृत अनुज्ञप्ति धारक के विधिक प्रतिनिधि या उसके अंतरिती अथवा यथास्थिति, फर्म या कंपनी के अंतरिती या विघटित फर्म या कंपनी के परिसमापक को सौप देगा ।

14. **एसिड का विकय.–** (1) एसिड का प्रत्येक विकय, जहां तक संभव हो, व्यक्ति की दशा में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अथवा जहां अनुज्ञप्ति धारक फर्म या कंपनी है, ऐसे फर्म या कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या उसके पर्यवेक्षण के अधीन किया जायेगा ।

(2) इन नियमों के अधीन प्रदत्त एसिड के कब्जे या विकय के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरों में संग्रहण तथा विकय करेगा।

15. **एसिड का विकय किस व्यक्ति को किया जा सकेगा.–** अनुज्ञप्ति धारक किसी भी एसिड का विकय किसी व्यक्ति को तब तक नही करेगा जब तक कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से पहचानता न हो या ऐसा फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत किया हो जिसमें उसका पता एवं उसके पते से संबंधित संलग्न मूल दस्तावेज ऐसा हो, जिसके द्वारा उसके पहचान का बोध नही होता हो। वह किसी भी एसिड के विकय के पूर्व केता का नाम, टेलीफोन नंबर एवं पता तथा उद्देश्य जिसके लिए एसिड कय किया जा रहा है, भी सुनिश्चित करेगा। वह, ऐसे किसी व्यक्ति, जो उसको अठारह वर्ष से कम आयु का प्रतीत होता हो अथवा ऐसे व्यक्ति, जिसके क्षेत्र की उसे पूर्ण जानकारी होना प्रतीत नहीं होता है, को एसिड का विकय नहीं करेगा।

16. **मेडिकल या पशु चिकित्सा प्रेक्टिशनर के द्वारा एसिड का कय या संधारण. –** इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात, मेडिकल या पशु चिकित्सा प्रेक्टिशनर के द्वारा अपने व्यवसाय के वैध उपयोग के लिए अर्जित किसी एसिड के कय एवं संधारण पर लागू नहीं होगा।

17. **एसिड के विक्रय का रजिस्टर.–** (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक, एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें वह केमिस्ट, ड्रगिस्ट द्वारा प्रयुक्त या कम्पाउण्डर, जो अर्हित मेडिकल या पशु चिकित्सा प्रेक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुपालन में दवाईयों का निर्माण या मिलान कर रहे हो, से भिन्न एसिड की समस्त विक्रयों की सही–सही प्रविष्टि करेगा। ऐसे विक्रय के संबंध में, ऐसे रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण प्रविष्ट किये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) सरल क्रमांक;

(ख) एसिड का नाम;

(ग) मात्रा जो बेची गई;

(घ) विक्रय का दिनांक;

(ड.) क्रेता का नाम एवं पता, प्रस्तुत फोटो परिचय पत्र का सरल क्रमांक एवं फोटो परिचय पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम;

(च) उद्देश्य जिसके लिए क्रेता द्वारा एसिड की आवश्यकता बताई गई है;

(छ) क्रेता का हस्ताक्षर (यदि वह निरक्षर है तो उसके अंगूठे का निशान) डाक द्वारा क्रय किये जाने की दशा में दिनांक जिस पर पत्र लिखा गया था एवं जिस फाईल में यह मूल पत्र लगाया गया है, उसका विवरण;

(ज) क्रेता, यदि कोई हो, को पहचानने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर (या यदि वह निरक्षर है तो अंगूठे का निशान);

(झ) विक्रेता (डीलर) के हस्ताक्षर

(2) रजिस्टर के एक पृथक भाग में, वह प्रत्येक एसिड के लिए एक पृथक कॉलम में प्रतिदिन विक्रय की गई प्रत्येक एसिड की मात्रा, प्रविष्ट करेगा तथा वे प्रविष्टियां दिन प्रतिदिन आधार पर संधारित की जायेगी ।

(3) इस नियम के उप–नियम (झ) के अंतर्गत विहित रजिस्टर मे अनुज्ञप्ति धारक स्वयं या यदि अनुज्ञप्ति धारक, कोई फर्म या कंपनी है तो उस फर्म या कंपनी के नामांकित प्रतिनिधि, हस्ताक्षर करेगा तथा क्रेता को बेचने या डिस्पैच के समय विवरण लेख किया जायेगा। इस प्रकार के हस्ताक्षर से यह माना जायेगा कि हस्ताक्षर करने वाले ने यह स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि नियम 15 के अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है।

(4) उपरोक्त रजिस्टर के मद (छ) के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी पत्र या लिखित आदेश मूलरूप में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा ऐसी अवधि के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे जो कि विक्रय की तिथि से दो वर्ष से कम न हो ।

(5) प्रतिदिन के क्रय विक्रय किये गये स्टाक के बैलेंस की प्रविष्टि रजिस्टर में की जायेगी।

18. **एसिड एवं रजिस्टर के स्टाक के निरीक्षण की शक्ति.–** कोई कार्यपालिक दण्डाधिकारी या उप–निरीक्षक की श्रेणी के या उससे उच्च के पुलिस अधिकारी या राज्य शासन द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 के अधीन नियुक्त निरीक्षक, किसी भी समय दौरा कर सकेगा तथा अनुज्ञाप्ति धारक के परिसर जहां एसिड को विक्रय के लिए रखा गया है, निरीक्षण कर सकेगा तथा वहां उपलब्ध समस्त एसिड एवं संधारित किये गये रजिस्टर का निरीक्षण कर सकेगा एवं अनुज्ञप्ति धारक के द्वारा इस प्रयोजन हेतु रखे गये निरीक्षण बुक में अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकेगा।

19 **विक्रय के लिए रखे गये एसिड का आधिपत्य एवं पात्र, जिसमें एसिड रखा गया है, में नाम पट्टिका लगाना.–**इन नियमों के अधीन विक्रय के लिए रखे गये समस्त एसिड, अनुज्ञप्ति धारक द्वारा किसी बाक्स, आलमारी, कक्ष या भवन (रखे गये मात्रा के अनुसार) जिसमें कि ताला एवं चाबी हो, सुरक्षित रूप से रखे जाने चाहिए तथा इसमें अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार रखे गये एसिड के अलावा, कोई अन्य वस्तु नही रखा जायेगा तथा प्रत्येक एसिड सुरक्षित रूप से किसी बाक्स आलमारी, कमरा या भवन में ग्लास के बर्तन, मेटल के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में पृथक–पृथक रूप में सुरक्षित रखा जायेगा । प्रत्येक ऐसे बाक्स, आलमारी, कमरा या भवन एवं ऐसे प्रत्येक पात्र जिसमें एसिड रखे गये हैं, उस पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में लाल अक्षरों में "एसिड" शब्द, तथा पात्र जिसमें पृथक–पृथक एसिड रखे गये हो, की दशा में ऐसे एसिड का नाम, लिखा जायेगा।

20 **बेचे गये एसिड को सुरक्षित रूप से पैंकिग एवं नाम पट्टिका लगाना.** – जब कोई एसिड बेचा जाये तो वह किसी बंद पात्र में या बंद बर्तन में (मात्रा के अनुसार) सुरक्षित रूप से पैक किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसा पात्र या पैकेट में, अनुज्ञप्ति धारक के द्वारा अंग्रेजी

एवं स्थानीय भाषा में, लाल रंग में, एसिड का नाम सहित नाम पट्टिका लगाया जायेगा एवं अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता लिखा जायेगा। निम्नलिखित चेतावनी चिन्ह भी प्रत्येक पात्र में प्रदर्शित किया जायेगा ।

21 **उपयोगकर्ताओं (विशिष्ट को छोड़कर) द्वारा एसिड/संक्षारक पदार्थ की सुरक्षा, संग्रहण एवं संभावित दुर्घटना प्रबंधनः–** एसिड/संक्षारक पदार्थ की सुरक्षा, संग्रहण एवं संभावित दुर्घटना प्रबंधन के लिए किये जाने वाले उपायों के लिए मानक संचालन प्रकिया की रुपरेखा तैयार की जायेगी तथा उसे एसिड के उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

(1) एसिड/संक्षारक पदार्थ की सुरक्षा–

(क) किसी व्यक्ति को परिसर में एसिड के कब्जे एवं सुरक्षित रूप से रखने हेतु जवाबदेह होना चाहिए।

(ख) एसिड/संक्षारक का संग्रहण किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन होना चाहिए।

(ग) एसिड/संक्षारक का संग्रहण दोहरे ताले की व्यवस्था के अधीन अधिक सुरक्षित रूप से होना चाहिए।

(घ) एसिड का उपयोग हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा प्रत्येक तिमाही में संबंधित एस0डी0एम0 (या जब कभी भी एस.डी.एम. न हो, तो तहसीलदार) को इसकी जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए।

(ड.) जहां एसिड/संक्षारक का उपयोग/संग्रहण किया जाता हो ऐसे संग्रहण के स्थान/विद्यार्थी/कर्मिक युक्त प्रयोगशाला की अनिवार्यतः जांच की जानी चाहिए।

(2) **एसिड / संक्षारक पदार्थ का संग्रहण—**

(क) रसायनों का संग्रहण प्लास्टिक कंटेनर में या उपयुक्त कंटेनर में ही किया जाना चाहिए।

(ख) प्रत्येक स्टोरेज कंटेनर, जिसमें रसायन एवं खतरनाक एसिड रखे जाते हैं, की पहचान दर्शित करने वाले नाम पट्टिका लगा होना चाहिए तथा सावधानी के उपाय भी लिखा होना चाहिए।

(ग) अलग–अलग प्रकार के रसायनों को एक साथ संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए ।

(घ) क्षयकारी रसायनों की विस्तृत सूची को कम से कम रखा जाना चाहिए।

(ड.) सुरक्षा ग्लोब्स, एप्रेन, सेफ्टी चश्मा एवं चेहरे में लगाने वाला शील्ड को जहां आवश्यक हो, धारण किया जाना चाहिए।

(च) एसिड को हमेशा सावधानीपूर्वक पानी में मिलाकर पतला करना चाहिए। एसिड में पानी कभी भी नही मिलाना चाहिए।

(3) संभावित दुर्घटना प्रबंधन —

(क) त्वचा से सम्पर्क— दूषित कपड़ा, जूता एवं चमड़े से बने सामान (यथा वाचबेंड, बेल्ट) को शीघ्रतापूर्वक अलग करना चाहिये। अतिरिक्त रसायन को शीघ्रता एवं सावधानीपूर्वक हटाना चाहिये। तत्काल गुनगुना पानी डालना चाहिये। कम–से–कम 30 मिनट तक पानी डालना चाहिये, यह कार्य सावधानीपूर्वक करना चाहिये, अस्पताल ले जाते समय भी पानी डालते रहना चाहिये, आवश्यकतानुसार पीड़ित को एसिड सेंटर या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिये, मरीज को तत्काल ईलाज की आवश्यकता है, तो परिवहन के साधन तत्काल उपलब्ध कराकर कर अस्पताल ले जाना चाहिये।

(ख) आंख से संपर्क — सीधे सम्पर्क से बचा जाये, जहां आवश्यक हो, रसायन से बचाव करने वाले ग्लोब्स पहनना चाहिए, चेहरे से रसायन को सावधानी एवं शीघ्रतापूर्वक हटाना चाहिए, सामान्य कुनकुने पानी से दूषित आंखो को धोना चाहिए, यदि आंखों के पलक खुले हों, 30 मिनट तक आंखों को पानी से धोना चाहिए । यदि कान्टेक्ट लैंस पहनते हैं तो धोने में विलंब नही करना चाहिए या कान्टेक्ट लैंस को शीघ्रता पूर्वक निकालने का प्रयास करना चाहिए। न्यूट्रल सेलाईन सुलोशन का शीघ्रतापूर्वक उपयोग करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो धोने में अवरोध नही करना चाहिए अस्पताल ले जाने के दौरान लगातार धोते रहना चाहिए। [illegible] रहना चा

(ग) अपच – पीड़ित व्यक्ति के मुंह में बार–बार पानी डालना चाहिए। यदि पीड़ित को उल्टी हो रही है तो उसे सामने झुका कर दम घुटने से बचाना चाहिए। पीडित व्यक्ति के मुख में बार–बार पानी डालते रहना चाहिए । तत्काल् उसे एसिड सेंटर. ले जाना चाहिए या डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। यदि तत्काल् उपचार की आवश्यकता है तो उसे अस्पताल ले जाना चाहिए।

(घ) सांस लेना– दूसरे को मदद करने के पूर्व स्वयं की सुरक्षा की सावधानी बरतना (यथा समुचित सुरक्षा उपकरण पहनना) आवश्यक है, पीड़ित को तत्काल् शुद्ध वायु में ले जाना चाहिए। पीड़ित को इस प्रकार आराम की अवस्था में रखें ताकि वह आराम से सांस ले सके। यदि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ऑक्सीजन लगाया जाना चाहिए, पीड़ित को अनावश्यक घूमने की ईजाजत नहीं देनी चाहिए। तत्काल् पीड़ित को एसिड सेंटर ले जाना चाहिए या डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। यदि तत्काल् उपचार की आवश्यकता है तो उसे अस्पताल ले जाना चाहिए ।

22. **अपील**.– (1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के द्वारा पारित किसी आदेश व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरूद्ध, अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने की पात्रता होगी, तथा अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के पश्चात आगे कोई अपील नहीं होगी।

(2) अपील ग्रहण नही किया जायेगा यदि अपीलार्थी ने आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नही किया है :

परंतु अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेंगे यदि यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास विलंब का पर्याप्त कारण है।

(3) अपील प्राधिकारी, जिसके समक्ष किसी ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील की गई है जिसमें शास्ति (अर्थदण्ड) अधिरोपित है, उस स्थिति में वह अपने स्वयं के समावेदन से या अन्यथा, प्रकरण के रिकार्ड, कार्यवाही विवरण मंगा सकेगा तथा ऐसे किसी प्रकरण में पारित किसी आदेश को पुनर्विलोकन करते हुए, कोई ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि उचित समझेः

परंतु इस उप–नियम के अधीन कोई भी कार्यवाही, आदेश के पुनर्विलोकन किये जाने की तिथि के पश्चात् छः माह से अधिक होने पर, नही होगी ।

23 **शास्ति**.– कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के उल्लघन में कार्य करता है, अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अन्तर्गत दण्ड हेतु दायी होगा।

24 **निरसन तथा व्यावृति.**– इस नियम के प्रवृत्त होने पर, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त तत्स्थानी नियम निरसित माने जायेंगे:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, जब तक ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के प्रावधानों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

अनुसूची—एक

(नियम 3 देखिये)

एसिड्स की सूची

1. एसिटिक एसिड (वजन से 25% सान्द्रता के अतिरिक्त)
2. एसिटी एनहाइड्राईड
3. सल्फ्यूरिक एसिड (H_2SO_4) (वजन से 5% सान्द्रता के अतिरिक्त)
4. हाइड्रक्लोरिक एसिड (HCl) (वजन से 5% सान्द्रता के अतिरिक्त)
5. फास्फोरिक एसिड (H_3PO_4)
6. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड (HF)
7. परक्लोरिक एसिड ($HClO_4$)
8. फारमिक एसिड एसिड (वजन से 10% सान्द्रता के अतिरिक्त)
9. हाइड्रोसायनिक एसिड पदार्थो के अलावा वजन में 0.1 प्रतिशत वजन से कम हाइड्रोसाइनिक युक्त पदार्थ ।
10. हाइड्रोक्लोरिक एसिड पदार्थों के अलावा वजन में 5 प्रतिशत वजन से कम हाइड्रक्लोरिक एसिड युक्त पदार्थ।
11. नाइट्रिक एसिड के अलावा वजन में 5 प्रतिशत वजन से कम नाईट्रिक एसिड युक्त पदार्थ ।
12. ऑक्सेलिक एसिड ।
13. पारा के प्रति क्लोराइड (रसकपूर)
14. पोटेशियम हाइड्रोक्साईड पदार्थों के अलावा वजन में 2 प्रतिशत वजन से कम पोटेशियम हाइड्रोक्साईड युक्त पदार्थ ।
15. सोडियम हाइड्रोक्साईड पदार्थों के अलावा वजन में 2 प्रतिशत वजन से कम सोडियम हाइड्रोक्साईड युक्त पदार्थ ।
16. हाइड्रोजन पराक्साईड (वजन से 50% सान्द्रता के अतिरिक्त)
17. फारमलडीहाईड (वजन से 25% सान्द्रता के अतिरिक्त)
18. फिनॉल (वजन से 30% सान्द्रता के अतिरिक्त)
19. सोडियम हाइपोक्लोराईट सॉल्यूशन (वजन से 5% सान्द्रता के अतिरिक्त)।
20. व्हाईट आर्सेनिक।

अनुसूची–दो

प्ररुप क

(नियम 4 देखिए)

एसिडों के विक्रय एवं अधिपत्य के लिये अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति धारक/
प्राधिकृत प्रतिनिधि
का छायाचित्र

पंजी क.–

अनुज्ञप्ति धारी का नाम

दुकान का ईलाका (क्षेत्र)

श्री ....पिता श्री..................................के रूप में व्यापार हेतु......................... में...जिला, (पूर्ण पता) एतदद्वारा खुदरा बिकी के लिये निम्नांकित के द्वारा बेचने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त है, अर्थात् :–

1..................

2................

3................

4................

5.................

यह अनुज्ञप्ति उत्क्रम (रिवर्स) पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है, जिनमें से किसी का उल्लंघन पाये जाने पर धारा द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति को जब्त करने के साथ ही दण्ड का भागीदार होना भी अंतर्वलित होगा।

यह अनुज्ञप्ति, स्वीकृत किये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त होगा, जबकि अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु होने पर अथवा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा निरस्त करने पर, यह समय से पहले ही समाप्त हो जायेगा।

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

शर्ते

1. नियम 5 (1) तथा 8 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृत किये गये अनुज्ञप्ति या नवीनीकृत अनुज्ञप्ति किसी भी दिन पर पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त होंगे। प्रत्येक आवेदक अनुज्ञप्ति स्वीकृति या नवीनीकरण के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसे आवेदन के साथ सौ रुपये के न्यायालयीन शुल्क स्टाम्प संग्न करना होगा ।
2. किसी अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु होने पर प्रदाय किया गया अनुज्ञप्ति समाप्त हो जायेगा या यदि किसी फर्म या कंपनी को अनुज्ञप्ति दिया गया है, तो उस फर्म या कंपनी के व्यवसाय के परिसमापन या स्थानांतरण पर अनुज्ञप्ति समाप्त माना जायेगा।
3. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी पर्याप्त कारण होने पर किसी अनुज्ञप्ति को निरस्त या समाप्त कर सकता है।
4. एसिड का प्रत्येक विक्रय, जहां तक संभव हो, अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति के द्वारा स्वयं अथवा यदि कोई फर्म या कंपनी अनुज्ञप्तिधारी है तो ऐसे फर्म या कंपनी के प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाना चाहिये।
5. अनुज्ञप्ति धारक किसी भी एसिड का विक्रय किसी व्यक्ति को तब तक नही करेगा. जब तक कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से पहचानता न हो या ऐसा फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत किया हो जिसके द्वारा उसके पहचान का बोध नही होता हो। वह, ऐसे किसी व्यक्ति, जो उसको अठारह वर्ष से कम आयु का प्रतीत होता हो अथवा ऐसे व्यक्ति, जिसके क्षेत्र की उसे पूर्ण जानकारी होना प्रतीत नहीं होता है, को एसिड का विक्रय नहीं करेगा।
6. (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक, एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें वह केमिस्ट, ड्रगिस्ट द्वारा प्रयुक्त या कम्पाउण्डर, जो अर्हित मेडिकल या पशु चिकित्सा प्रेक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुपालन में दवाईयों का निर्माण या मिलान कर रहे हो, से भिन्न एसिड की समस्त विकयों की सही-सही प्रविष्टि करेगा। ऐसे विक्रय के संबंध में, ऐसे रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण प्रविष्ट किये जायेंगे, अर्थात्:-

   (क) सरल कमांक;

   (ख) विक्रय का दिनांक;

   (ग) केता का नाम, टेलीफोन नंबर तथा पता;

   (घ) एसिड का नाम;

(ड.) मात्रा जो बेची गई;

(च) उद्देश्य जिसके लिए केता द्वारा एसिड की आवश्यकता बताई गई है;

(छ) केता का हस्ताक्षर यदि वह निरक्षर है तो उसके अंगूठे का निशान, डाक द्वारा कय किये जाने की दशा में दिनांक जिस पर पत्र लिखा गया था एवं जिस फाईल में यह मूल पत्र लगाया गया है, उसका विवरण;

(ज) विकेता (डीलर) के हस्ताक्षर

(2) रजिस्टर के एक पृथक भाग में, वह प्रत्येक एसिड के लिए एक पृथक कॉलम में प्रतिदिन विकय की गई प्रत्येक एसिड की मात्रा, प्रविष्ट करेगा तथा वे प्रविष्टियां दिन प्रतिदिन आधार पर संधारित की जायेगी ।

(3) रजिस्टर के कांलम (ज) मे अनुज्ञप्ति धारक स्वयं या यदि अनुज्ञप्ति धारक, कोई फर्म या कंपनी है तो उस फर्म या कंपनी के नामांकित प्रतिनिधि, हस्ताक्षर करेगा तथा केता को बेचने या डिस्पैच के समय विवरण लेख किया जायेगा। इस प्रकार के हस्ताक्षर से यह माना जायेगा कि हस्ताक्षर करने वाले ने यह स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि नियम 15 के अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है।

(4) उपरोक्त रजिस्टर के मद (छ) के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी पत्र या लिखित आदेश मूलरूप में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा ऐसी अवधि के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे जो कि विकय की तिथि से दो वर्ष से कम न हो ।

7. प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निर्धारित प्ररुप में प्रत्येक एसिड के संबंध में स्टॉक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट की जायेगी :—

1. सरल कमांक
2. तिथि
3. किस व्यक्ति से तथा किससे एसिड प्राप्त की, उसका नाम एवं पूर्ण पता
4. एसिड प्राप्त करने वाले का नाम एवं पूर्ण पता
5. बेची गयी मात्रा
6. बचे हुये एसिड का स्टॉक
7. टिप्पणी

स्टॉक रजिस्टर में दैनिक बैलेंस लिखा जायेगा।

8. कोई दण्डाधिकारी या औषधि नियंत्रक विभाग के अधिकारी या औषधि निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी या पुलिस उप निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के अधिकारी या मेडिकल अधिकारी या कोई सहायक मेडिकल अधिकारी या उससे उच्च स्तर का अधिकारी किसी भी समय अनुज्ञप्ति धारक के स्थल का भ्रमण कर सकते हैं एवं प्राप्त समस्त एसिड तथा रजिस्टर जो नियम 15 एवं 16 के अंतर्गत बनाये गये हैं, उसकी जॉच कर सकते हैं।

9. इस नियमों के अंतर्गत लायसेंस धारक द्वारा रखे गये सभी प्रकार के एसिड (सिवाय उसके जो कि किसी केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट के द्वारा मेडिकल एवं पशु चिकित्सा व्यावसायी के द्वारा लिखे गये पर्ची के अनुपालन में निर्माण या मिलान करने के प्रयोजन के लिए रखे गये को छोड़कर) अनुज्ञप्ति धारक द्वारा किसी बाक्स, आलमारी, कक्ष या भवन (रखे गये मात्रा के अनुसार) जिसमें कि ताला एवं चाबी हो, सुरक्षित रूप से रखे जाने चाहिए तथा इसमें अधिनियम के अधीन प्रदाय की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार रखे गये एसिड के अलावा, कोई अन्य वस्तु नही रखा जायेगा तथा प्रत्येक एसिड सुरक्षित रूप से किसी बाक्स आलमारी, कमरा या भवन में ग्लास के बर्तन, मेटल के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में पृथक–पृथक रूप में सुरक्षित रखा जायेगा । प्रत्येक ऐसे बाक्स, आलमारी, कमरा या भवन एवं ऐसे प्रत्येक पात्र जिसमें एसिड रखे गये हैं, उस पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में लाल अक्षरों में "एसिड" शब्द, तथा पात्र जिसमें पृथक–पृथक एसिड रखे गये हो, की दशा में ऐसे एसिड का नाम, लिखा जायेगा।

10. जब कोई एसिड बेचा जाये तो वह किसी बंद पात्र में या बंद बर्तन में (मात्रा के अनुसार) सुरक्षित रूप से पैक किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसा पात्र या पैकेट में, अनुज्ञप्ति धारक के द्वारा अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में, लाल रंग में, एसिड का नाम सहित नाम पट्टिका लगाया जायेगा एवं नियम 18 में विनिर्दिष्ट विकय के रजिस्टर में कमांक एवं दिनांक की प्रविष्टि की जानी चाहिए ।

11. प्रत्येक अनुज्ञप्ति, उपरोक्त उल्लिखित शर्तो तथा इस अधिनियम के प्रावधानों एवं इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन होंगे ।

12. अनुज्ञप्ति धारक यदि किसी एसिड को दवाई के लिये विक्रय करना या रखना चाहता है तो प्रथमतः अपेक्षित अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(ग) के अधीन अपेक्षित हो ।

टीप : दवाई के रुप में उपयोग करने हेतु एसिड से अभिप्रेत है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3 के अंतर्गत दवाई के रूप में यथा परिभाषित औषधि ।

अनुसूची–तीन

प्ररुप ख

(नियम 6 देखिये)

एसिडों के विक्रय एवं कब्जे के लिये अनुज्ञप्ति को प्राप्त करने/नवीनीकरण करने हेतु आवेदन

1. आवेदक/फर्म का नाम
2. आवेदक की आयु
3. कार्यालय एवं निवास का पता
4. अनुज्ञप्ति क. एवं अनुज्ञप्ति की प्रति (नवीनीकरण आवेदन हेतु आवेदित)
5. आवेदक, फर्म, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित नामांकन संबंधी दस्तावेज
6. व्यवसाय अथवा दुकान अथवा गोदाम का पूर्ण पता जिसके अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है, प्रकोष्ठ की संख्या एवं मकान की संख्या के साथ भवन का नाम, सडक एवं गली का क्रमांक जहाँ वह स्थित है
7. परिसर योजना की प्रति
8. परिसर के आधिपत्य का अधिकार से संबंधित दस्तावेज
9. विक्रय किये जाने वाले प्रस्तावित एसिड का नाम

(आवेदक स्वयं द्वारा सत्यापित तीन छायाप्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे)

रायपुर, दिनांक 11 जून 2014

क्रमांक एफ 11-223/दो-गृह/न्या/2012 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 11-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

Raipur, the 11th June 2014

NOTIFICATION

No. F 11-223/Two-Home/2012 .— In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 24 of the Chhattisgarh Regulation, Prohibition, Sale and Use of Acid Act, 2013, the Government of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the sale, supply and distribution of acids in the State of Chhattisgarh and matters connected therewith or incidental thereto, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Regulation, Prohibition, Sale and Use of Acid Rules, 2014.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a). **"Act"** means the Chhattisgarh Regulation, Prohibition, Sale and Use of Acid Act, 2013;

   (b) **"Acid"** means the Acid specified in the First Schedule to this rules;

   (c) **"Licensing Authority"** means the District Magistrate or any other officer authorized by the State Government under Section 3 of the Act to grant a license;

   (d) **"Licensee"** means a holder of a license;

   (e) **"Notification"** means a notification published in the Official Gazette;

   (f) **"Form"** means a form appended to these rules;

   (g) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;

   (h) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

   (2) Words and Expression not defined in these rules shall have the same meanings as defined under the Act.

3. The acids specified in Schedule-I shall be deemed to be acids for the purpose of these rules.

4. **Prohibition of sale or possession of acid without license.**- No person, unless exempted under the provisions of the Act shall sell or possess for sale, any acid specified in the Schedule except under a license in Form A granted or renewed in Form B in that behalf by the licensing authority.

5. **Exhibition of rules on the premises.**-A copy of these rules shall always be displayed in prominent position at the place of business specified in the license granted under rule 4.

6. **License whom to be granted.**- (1) A license shall be granted only to a person who, in the opinion of the Licensing Authority is competent to conduct business in acids.

(2) The license issued to a firm or company shall always be in the name of the proprietor or proprietors of the company or a responsible person to be nominated by such proprietor or proprietors for the purpose, or in the case of a public company, in the name of its manager.

(3) The name or names so given may be altered or amended by the licensing authority on a written application from the firm or company and such application shall bear a court fee stamp of hundred rupees.

7. **License by whom to be granted.** -The grant and renewal of a license to any applicant shall be at the discretion of the Licensing Authority whose decision thereon shall be final.

8. **Application for grant or renewal of license.** – (1) Every person desiring for the grant of license or renewal shall make a written application to the Licensing Authority in Form B and such application shall bear a court fee stamp of ten rupees :

Provided that any application for renewal of a license which is made less than three months prior to the date of the expiry of the license shall bear a court fee stamp of five hundred rupees.

(2) Applications for duplicate licenses, when the original is lost or destroyed shall be made in writing and shall bear a court fee stamp of five hundred rupees.

(3) In the case of any change in the place of business of the licensee, a fresh application for license shall be made to the Licensing Authority and such application shall bear a court stamp of five hundred rupees.

(4) The licensee shall prominently display the license in the place of business.

9. **Duration of License.**-Subject to the provisions of rules 10 and 11, a license granted or renewed under these rules shall remain in force for five years from the date of issue.

10. **Discretion of Licensing Authority.** -A license may be cancelled or revoked any time and the grant/renewal/cancellation/ revocation of license shall be in the discretion of the Licensing Authority.

Provided that a applicant for license to whom refused to grant license or licensee whose license has been refused renewal or whose license has been cancelled/revoked and is aggrieved by such order of the Licensing Authority can file an appeal with the Appellate Authority notified by the State Government under Section 13 of the Act.

11. **Termination of license.** - A license shall terminate on the death of the license holder or on the transfer of his business, or if granted to a firm or company, on the winding up or the transfer of the business of such firm or company:

Provided that if the business carried on by the licensee as such of the firm or company is transferred as a going concern and the transferee applies for a fresh license, with court fee stamp of hundred rupees, within fourteen days of the date of transfer, the subsisting license shall continue to be force until a new license has been granted or the application for fresh license is rejected by the Licensing Authority.

12. **Revocation or cancellation of licenses.** - Notwithstanding anything contained in rule, the Licensing Authority may, for any sufficient cause, revoke or cancel any license granted under rule 4.

13. **Disposal of stock on termination, revocation or cancellation of license.** –In the event of revocation or cancellation of the license under rule 12 or in the event of the termination of license under rule 11, the stock of acid may be sold to any other license holder within a period of three months from the date of such termination, revocation or cancellation of the license, after which the remaining acid may be destroyed under the orders of the licensing authority. In the case referred to in rule 11, the proceeds of the sale, if any, shall be handed over to the legal representative of the deceased license holder or his transferee or, liquidator of the dissolved firm or company or the transferee of the firm or company, as the case may be.

14. **Sale of acid.**- (1) Every sale of acid, as far as practicable, shall be made by the license holder in person or where the license holder is a firm or a company, through or under supervision of an accredited representative of such firm or company.

(2) A person holding license for possession and sale of acids granted under these rules shall store and sell from the premises specified in the license.

15. **Persons to whom acids may be sold.**-A license holder shall not sell any acid to any person, unless the latter is personally known to him, or identified to his satisfaction by producing a photo identity card which has his address or substantiate it with a document giving his address. He shall also ascertain before selling any acid the name, telephone and address of the purchaser and the purpose for which the acid is purchased. He shall not sell any acid to any person

who appears to him to be under the age of eighteen years, or to any person who does not appear to him to be in full possession of his faculties.

16. **Purchase or possession of acids by a medical or veterinary practitioner.-** Nothing contained in these rules shall apply to the purchase or possession of any acid required by a medical or veterinary practitioner for bonafide use in the exercise of his profession.

17. **Register of sale of acids.-** (1) Every license holder shall maintain a register in which he shall enter correctly, all sales of acids other than used by a chemist, druggist or compounder dispensing or compounding in compliance with the prescription of a qualified medical or veterinary practitioner. The following details shall be entered in such register in respect of such sale, namely:-

(a) Serial No;

(b) Name of acid;

(c) Quantity sold;

(d) Date of sale;

(e) Name and address of the purchaser, serial number of the photo identity card produced and the name of the issuing authority;

(f) Purposes for which the acid was stated by the purchaser to be required;

(g) Signature of purchaser (or thumb impression if illiterate) or in the case of purchase by post date on which the letter was written and reference to the original in the file in which it is preserved;

(h) Signature of a person identifying the purchaser if any (or thumb impression, if illiterate); and

(i) Signature of dealer.

(2) In a separate portion of the register he shall enter in separate columns for each acid, the quantity of each acid sold daily, and those entries shall be filled up from day to day.

(3) The signature in the register prescribed under sub-rule (1) of this Rule shall be that of the license holder himself, or, when the license holder is a firm or company, that of an accredited representative of such firm or company and shall be written at the time of sale or dispatch to the purchaser. Such signature shall be held to imply that the signatory had satisfied himself that the requirements of rule 15 have been fulfilled.

(4) All letters or written orders referred to under item (g) of the above register shall be preserved in original by the license holder for a period not less than two years from the date of sale.

(5) The daily balance of stock should be entered in the register.

18. Power to inspect acids and registers.-Any Executive Magistrate or a Police officer of the rank of Sub-Inspector and above or a Medical Officer appointed by the State Government or an Inspector appointed under Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) may at any time visit and inspect the premises of the license holder where an acid is kept for sale and may inspect all acids found therein and the registers maintained and may record his remarks in an inspection book which shall be kept by the license holder for the purpose.

19. Custody of acids kept for sale and labeling of receptacles in which they are kept.- All acids kept for sale under these rules by any license holder shall be kept securely in a box, almirah, room or building (according to the quantity maintained) which shall be secured by lock and key and in which no substance shall be placed other than acids possessed in accordance with a license granted under the Act, and each acid shall be kept, securely within such box, almirah, room or building in a separate closed receptacle of glass, metal or earthenware. Every such box, almirah, room or building and every such receptacle shall be marked with the word "ACID" in red letters, both in English and in the local language and in the case of receptacles containing separate acid, with name of such acid.

20. Acids sold to be securely packed and labeled.-When any acid is sold, it shall be securely packed in a closed receptacle or container (according to the quantity); and every such receptacle or packet shall be labeled by the licensee with a red label bearing in English and in local language giving the name of the acid and the name and address of the licensee. The following universal warning symbols shall also be displayed on the receptacle.

21. Security, storage and incident management of acids/corrosive substance by users (expect individuals):-A Standard Operating Procedure (SOP) outlining the measures undertaken for security, storage and incident management of acids/corrosive substances shall be prepared and prominently displayed in the premises of the user.

(1) Security of acid/corrosive substances.

(a) A person shall be made accountable for possession and safe keeping of acid in the premises.

(b) The storage of acid /corrosive shall be under the supervision of this person.

(c) The storage of acid/corrosive shall be under double lock system to ensure more security.

(d) A register of usage of acid shall be maintained and the same shall be filed with the concerned SDM (or Tehsildar wherever the office of SDM does not exist) every quarter.

(e) There shall be compulsory checking of the students/personnel leaving the laboratories /place of storage where acid/corrosive is used/stored.

(2) Storage of acids/corrosive substances.

(a) The chemicals should be stored in plastic or other suitable containers.

(b) All storage containers should be labeled to indicate the identity of the chemicals and the hazards involved and the precautions to be taken.

(c) Incompatible chemicals should not be stored together.

(d) The inventory of corrosive chemicals should be kept to minimum.

(e) Protective gloves, aprons, safety glasses and face shields should be worn where appropriate.

(f) Acids should be diluted with care- always add acid to water, never add water to acid.

(3) Incident Management.

(a) **Skin contact:** Quickly take off contaminated clothing, shoes and leather goods (e.g. watchbands, belts). Quickly and gently blot or brush away excess chemical. Immediately flush with lukewarm, gently flowing water for at least 30 minutes. Do not interrupt flushing, if it can be done safely; continue flushing during transport to hospital. Immediately call an Acid Centre or doctor as treatment is urgently required, or call transport to a hospital.

(b) **Eye contact:** Avoid direct contact. Wear chemical protective gloves if necessary. Quickly and gently blot or brush chemical off the face. Immediately flush the contaminated eye(s) with lukewarm, gently flowing water for at least 30 minutes, while holding the eyelid(s) open. If a contact lens is present, do not delay flushing or attempt to remove the lens. Neutral saline solution may be used as soon as it is available.

Do not interrupt flushing. If necessary, continue flushing during transport to hospital.

(c) **Ingestion**: Have victim rinse mouth with water. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward to reduce risk of aspiration. Have victim rinse mouth with water again. Immediately call an Acid Centre or doctor. If treatment is urgently required, transport the victim to a hospital.

(d) **Inhalation:** Take precautions to ensure your own safety before attempting rescue (e.g. wear appropriate protective equipment).Move victim to fresh air. Keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing is difficult, trained personnel should administer emergency oxygen. Do not allow victim to move about unnecessarily. Symptoms of pulmonary edema may be delayed. Immediately call an Acid Centre or doctor. Treatment is urgently required. Transport to a hospital.

22. **Appeals.**- (1) Any person, aggrieved by any order passed by the Licensing Authority, shall be entitled to prefer an appeal to the Appellate Authority against the order and there shall be no further appeal after the decision of the Appellate Authority.

(2)No appeal shall be entertained, unless it is submitted within a period of three months from the date on which the appellant receives a copy of the order:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for delay.

(3)The Appellate Authority to whom an appeal against an order imposing penalty lies, may, on its own motion or otherwise, call for the records of the case, statement of proceeding and review any order passed in such a case, then pass such order as it deems fit:

Provided that no action under this sub-rule shall be initiated more than six months after the date of the order to be reviewed.

23. Penalties.-Any person who acts in contravention of these rules shall be liable for punishment under Section 15 of the Act, 2013.

24. Repeal and savings.-On coming into force of these rules, all rules corresponding thereto in force in any region of the State of Chhattisgarh shall stand repealed:

Provided that anything done or any action taken under any of the rules so repealed shall, unless, such things or action is inconsistent with any

provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
ASHOK JUNEJA, Secretary.

SCHEDULE-I

(See Rule 3)

List of Acids

1. Acetic acid (beyond 25% concentration by weight)
2. Acetic Anhydride
3. Sulphuric acid (H_2S0_4) (beyond 5% concentration by weight)
4. Hydrochloric acid (HCl) (beyond 50/0concentration by weight)
5. Phosphoric acid (H_3P0_4)
6. Hydrofluoric acid (HF)
7. Perchloric acid ($HCl0_4$)
8. Formic Acid (beyond 10% concentration by weight)
9. Hydrocyanic except substances containing less than 0.1 percent weight in weight of Hydrocyanic Acid.
10. Hydrochloric acid, except substances containing less than 5 percent weight in weight of Hydrochloric acid.
11. Nitric acid, except substances containing less than 5 percent weight III weight of Nitric Acid.
12. Oxalic acid.
13. Per Chloride of mercury (corrosive sublimate)
14. Potassium Hydroxide except substances containing less than 2 percent weight in weight of Potassium Hydroxide.
15. Sodium Hydroxide except substances containing less than 2 percent weight in weight of sodium Hydroxide.
16. Hydrogen peroxide (beyond 50%concentration by weight)
17. Formaldehyde (beyond 25% concentration by weight)
18. Phenol (beyond 30% concentration by weight)
19. Sodium Hypochlorite Solution (Beyond 5% concentration by weight).
20. White Arsenic.

SCHEDULE-II

FORM A

(See Rule 4)

License for possession and sale of acids

Photograph of License Holder /Authorized Representative

Register No.

Name of Licensee

Locality of shop

Shri ______________ son of Shri ______________ carrying on business as ______________ in the ______________ District, (full address) is hereby licensed to possess for sell by retail the following, namely:

1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
5. ______________

This license is subject to the conditions specified on reverse, the breach of any of which shall involve forfeiture of the license as well as liability to the penalties provided by Section.

This license will remain in force from the date of grant for a period of five years unless previously terminated by the death of the license holder or cancelled by the licensing authority concerned.

Seal and Signature of Licensing Authority

CONDITIONS

1. Subject to the provisions of rules 5 (1) and 8, a license granted or renewed on any day shall remain in force for a period of five years. Every applicant for the grant or renewal of a license shall make a written application to the Licensing Authority and such application shall bear a Court fee stamp of hundred rupees.
2. A license shall terminate on the death of the license holder or if granted to a Firm or company on the winding up or transfer of the business of such firm or company.
3. The Licensing Authority may for any sufficient cause revoke or cancel any license.
4. Every sale of an acid shall so far as possible be conducted by the license holder in person or where the license holder is a firm or a company, through or under the supervision of an accredited representative of such firm or company.
5. A license holder shall not sell any acid to any person unless the latter is personally known to him or identified to this satisfaction by producing photo identity card. He shall not sell any acid to any person who appears to him to be under the age of 18 or to any person who does not appear to him to be in full possession of his faculties.
6. (1) Every license holder shall maintain a register in which he shall enter all sales of acid other than those used by a chemist and druggist for dispensing or compounding in compliance with the prescription of a medical or veterinary practitioner. The following particulars shall be entered in such register in respect of each sale, namely;

   a) Serial No.

   b) Date of sale

   c) Name, telephone number and address of the purchaser

   d) Name of the acid

   e) Quantity sold

   f) Purpose for which the acid was stated by the purchaser to be required.

   g) Signature of purchaser or thumb impression if illiterate or in case of purchase by post, date of letter or written order and reference to the origins in the file in which is preserved.

   h) Signature of dealer.

   (2) In a separate portion of the register shall be entered, in separate column for each acid the quantity of each such acid sold daily and these entries shall be filled in from day to day.

   (3) The signature under column (h) of the register shall be that of the license holder himself or when the license holder is a firm or company that of an accredited representative of such firm or company and shall be entered at the time of sale or

dispatch to the purchaser. Such signature shall be held to imply that the writer has satisfied himself that the requirements of rule 15 have been fulfilled.

(4) All letters or written orders referred in column (g) of the register shall be preserved in original by the license holder for a period of not less than two years from the date of the sale.

7. (1) A license holder shall maintain in respect of each acid, a stock register, in form which shall contain the following particulars:-

a) Serial No.

b) Date

c) Amount received name and address of person from who received

d) Name and address of person from whom received.

e) Amount sold

f) Balance in stock

g) Remarks.

(2) The stock register shall be balanced daily.

8. Any Magistrate or any Officer of Drugs Control Department of or above the rank of Drugs Inspector or police officer of or above the rank of Sub- Inspector or any medical officer of or above the rank of Assistant Medical Officer may at any time visit and inspect all acids found there and the register maintained under rules 15 and 16.

9. All acids kept for sale by any license holder under these rules (except those kept by a chemist and druggist for the purpose of dispensing or compounding in compliance with the prescription of a medical or veterinary practitioner) shall be kept in a box, almirah, room or building (according to the quantity maintained) which shall be secured by lock and key and in which no substance shall be placed other than acids possessed in accordance with a license granted under the Act and each acid shall be kept within such box, almirah, room or building in a separate closed receptacle of glass, plastic, metal or earthen-ware. Every such box, almirah, room or building and every such receptacle shall be marked with the word "Acid" in red characters in English and local language and in the case of receptacles containing separate acids with the name of such acids.

10. When any acid is sold, it shall be securely packed in closed receptacle or packet (according to the quantity) and every such receptacle or packet shall be labeled by the vendor with a label bearing the name of the acid in English and local language and the number and date of the entry in the register of sales specified in rule 18.

11. The license shall be held subject to the conditions mentioned above and to the provisions of the Act and of any rules from time to time made under the Act.

12. The licensee, if he intends to sell or possess for sale any acid for medicine use will first obtain a requisite license as required under Section 18 (c) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

Note- An acid for medicinal use means a drug as defined in Section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

SCHEDULE-III

FORM B

(See Rule 6)

Application for Grant /Renewal of License for possession and sale of Acids

1. Name of the Applicant/firm
2. Age of the Applicant
3. Office and Residence Address:
4. License No. and Copy of License (applicable for renewal applications)
5. Documents regarding constitution of the applicant, firm including nomination of the authorized representative;
6. Full Address of the place of business or shop or of storage for which a license is applied for, number of the flat and the name of the building with house number and the street or the road where it is situated;
7. Copy plan of the premises
8. Documents pertaining to the right of possession of the premises
9. Name of the acid proposed to be sold;

   (Applicant should furnish three copies of self-attested photographs along with the application)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.